बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना

Email- eepfpdpatnacity@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या –22/2025–26

पत्रांक ......317....................../

दिनांक ..02../..03../2026

कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना तथा पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमंडल सं0–01/02/फतुहाँ एवं बंकाघाट अन्तर्गत तटबंध निरीक्षण/ सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने/बाढ़ सुरक्षात्मक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इत्यादि के देख–रेख एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े पर पाँच अदद् वाहन (बोलेरो/सुमो/स्कॉरपियो समकक्ष) के वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से निम्नरूपेण अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर अथवा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना द्वारा स्वीकृत दर (सभी कर एवं चालक सहित प्रत्येक वाहन के लिए 31,900.00 प्रतिमाह) या इससे कम दर मान्य होगा, जिसका विवरण निम्न है :–

क्र0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	दर (प्रतिमाह) सभी कर सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल पटनासिटी, पटना/अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमण्डल सं0–01/02/फतुहाँ /बंकाघाट हेतु	01.04.2026 से 31.03.2027 कुल–12 माह	03		
	अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बाढ़ अवधि में उपयोग हेतु	01.06.2026 से 31.10.2026 कुल–05 माह	02		

1. कोटेशनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– 02.03.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– 16.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी
5. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 17.03.2026 को अपराह्न 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में

नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैः–

1. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/कोटेशनदाता द्वारा राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर पर अथवा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना द्वारा स्वीकृत दर (सभी कर एवं चालक सहित प्रत्येक वाहन के लिए 31,900.00 प्रतिमाह) या इससे न्यून दर उद्धृत किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर पर अथवा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना द्वारा स्वीकृत दर (सभी कर एवं चालक सहित प्रत्येक वाहन के लिए 31,900.00 प्रतिमाह) से अधिक दर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन का उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का मॉडल 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय तथा चालक के खान–पान एवं अवसान की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
9. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा। आपुरित वाहन के भाड़े का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. आपूरित वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से न्यूनतम 10 कि0मी0 प्रतिलिटर होना अनिवार्य होगा।
13. वाहन मालिक/फर्म का वैद्य GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।

15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।

17. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अघोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधेहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

18. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 17 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 16.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराहन् तक समर्पित करेगें, जिसे दिनांक 17.03.2026 के 3:30 बजे अपराहन कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटनासिटी के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं/कोटेशनदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।

19. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैद्य कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम् से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता को मोबाईल और ई–मेल के माध्यम् से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

20. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 7463889534 पर संपर्क किया जा सकता है।

02/03/2026

कार्यपालक अभियंता,
पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटनासिटी, पटना।

पत्रांक 397 /पटना, दिनांक 02/03/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक :– Soft Copy (PDF and M.S Word)

02/03/2026

कार्यपालक अभियंता,
पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटनासिटी, पटना।